

न्यायालय— शरद जोशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अंजड जिला
बडवानी म.प्र.

आर.सी.टी.नं. 63 / 18
आप0प्र0क0— 73 / 2018
संस्थापन दिनांक—19.04.2018

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र ठीकरी,
जिला बडवानी म0प्र0

.....अभियोगी

विरुद्ध

सुनिल पिता राजाराम राठौड उम्र 40 साल,
निवासी— मलियार चौक थाना ठीकरी जिला बडवानी
म0प्र0

.....अभियुक्त

// निर्णय //
(आज दिनांक 19.04.2018 को घोषित)

01— अभियुक्त सुनिल पिता राजाराम के विरुद्ध 34 (1) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 12.04.2018 को 21:00 बजे गायत्री ऑटो पार्ट्स के पीछे सरकारी अस्पताल रोड ठीकरी आपके आधिपत्य में वैध अनुज्ञप्ति के बिना 35 क्वाटर देशी प्लेन मदिरा, 6 बियर किंगफिसर कंपनी की, 3 बियर दंबग स्टांग कंपनी की, 10 बियर छोटी लेमाउंट कंपनी की, 10 क्वाटर अग्रेंजी तथा 35 क्वाटर देशी मसाला कुल 26 लीटर शराब रखने का आरोप है।

02— प्रकरण में उल्लेखनीय तथ्य है कि, अभियुक्त के द्वारा स्वेच्छा पूर्वक अपराध स्वीकार किया गया है।

03— अभियोजन कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 12.04.2018 को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि, शासकीय अस्पताल रोड ठीकरी गायत्री ऑटो पार्ट्स के पीछे एक व्यक्ति शराब बेच रहा है। मुखबिर की सूचना पर पंचान को तलब कर सूचना से अवगत कराकर व साथ में लेकर मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुंचे जहां आड में से देखा तो एक व्यक्ति गायत्री ऑटो पार्ट्स के पीछे शराब बेच रहा है,

निरंतर.....

//2//

आर.सी.टी.नं. 63/18

आप0प्र0क0— 73/2018

संस्थापन दिनांक—19.04.2018

जिसे पंचान व हमराह की मदद से घेराबंदी कर नाम पता पूछने पर अपना नाम सुनिल पिता राजाराम राठौड उम्र 40 साल निवासी मलियार चौक ठीकरी का होना बताया। जिसके कब्जे से 35 क्वाटर देशी प्लेन मदिरा, 6 बियर किंगफिसर कंपनी की, 3 बियर दंबग स्टांग कंपनी की, 10 बियर छोटी लेमाउंट कंपनी की, 10 क्वाटर अग्रेजी तथा 35 क्वाटर देशी मसाला कुल 26 लीटर शराब जप्त की जाकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। विधिवत् जप्ति व आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। आरोपी के विरुद्ध थाने के अप0 क0 128/18 पर प्रथम सूचना पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण विवेचना में लिया गया तथा विवेचना उपरांत आरोपी सुनिल पिता राजाराम के विरुद्ध अभियोग पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— प्रकरण में आरोपी सुनिल पिता राजाराम ने अपराध स्वीकार किया। अभियुक्त को दंड का परिणाम से अवगत कराया गया और उसे समझाया गया कि वह संस्वीकृती करने के लिये आबद्ध नहीं है। किन्तु अभियुक्त के द्वारा अपराध समझने के उपरांत प्रश्नगत दिनांक को अपने आधिपत्य में बिना अनुज्ञप्ति 35 क्वाटर देशी प्लेन मदिरा, 6 बियर किंगफिसर कंपनी की, 3 बियर दंबग स्टांग कंपनी की, 10 बियर छोटी लेमाउंट कंपनी की, 10 क्वाटर अग्रेजी तथा 35 क्वाटर देशी मसाला कुल 26 लीटर शराब रखना स्वीकार किया है। अतः स्वेच्छापूर्ण की गई संस्वीकृती के आधार पर अभियुक्त को धारा 34 (1) आबकारी अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।

05— अभियुक्त को धारा 34 (1) आबकारी अधिनियम के आरोप में न्यायालय उठने की सजा एवं 3000/— रु के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं किये जाने पर 07 दिवस का सश्रम कारावास भुगताया जावे।

06— प्रकरण में जप्त शुदा शराब मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित

मेरे निर्देशन व बोलने पर

व दिनांकित कर घोषित किया गया

टंकित किया गया।

सही/—

सही/—

(शरद जोशी)

(शरद जोशी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
अंजड़ जिला बड़वानी म0प्र0

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
अंजड़ जिला बड़वानी म0प्र0

